संख्या-13/001/55डब्लू-26-27-3099-179-2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 23 मार्च, 2026

विषयः ग्राम जटपुरा, परगना व तहसील शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत भू-संदर्भवाद संख्या-32/2008 राधेश्याम आदि बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.2009 के अन्तर्गत मा0 लारा कोर्ट, गौतमबुद्धनगर में विचाराधीन निष्पादनवाद संख्या-59/2023 राधेश्याम बादहू श्रीमती सुमनलता आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में डिक्रीटल धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-551/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/मध्यगंगा, दिनांक 29.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर से संबंधित भू-संदर्भवाद संख्या-32/2008 राधेश्याम आदि बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.2009 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 66,02,360.00 (छियासठ लाख, दो हजार तीन सौ साठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवृत्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 66,02,360.00 (छियासठ लाख, दो हजार तीन सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4701-84-050-10-16-24 पूर्ण परियोजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दम-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, बरेली।

(6) मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अलीगढ़।

(7) अनु सचिव (लेखा) / आहरण बितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।

(9) अधीक्षण अभियन्ता, मध्यगंगा नहर निर्माण मण्डल-प्रथम, मेरठ।

(10) अधिशासी अभियन्ता, मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर।

(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।